



आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ 3
--------------------------------------	-------------------------------------	--

ऐसी स्थिति में तत्कालीन अंचलाधिकारी, सरैयाहाट द्वारा नामान्तरण वाद में दिया गया आदेश उचित नहीं है जबतक कि वर्णित जमाबंदी के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश पारित न हो जाता है।  
 अतः जमाबंदी सं०-5 एवं 13 में तत्कालीन अंचलाधिकारी सरैयाहाट के नामान्तरण वाद में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। विपक्षी चाहें तो अपने दावे के लिए सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। इसी निरीक्षा के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  
 लेखापित एवं संशोधित।

  
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
 दुमका।

  
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
 दुमका।